

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 50/2023

दायर दिनांक 07.02.2023

वादी

प्रतिवादीगण

1. नेमीचन्द पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी सेवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. जरिये आम मुख्त्यार जीवणी पत्नी नेमीचन्द जाति नायक निवासी सेवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।

1. ओमप्रकाश पुत्र सुण्डाराम
2. कानाराम पुत्र सुण्डाराम
3. भैरूराम पुत्र सुण्डाराम
4. मोहनी पत्नी रामचन्द्र
5. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति नायक
6. पूजा पत्नी दुर्गाराम जाति हरिजन
7. माताबक्श पुत्र जोधाराम
8. ललिता देवी पत्नी अरविन्द कुमार
9. जेठी पत्नी दुर्गाराम
10. रामकुमार पुत्र गौराराम
11. गोदावरी पत्नी श्रवण कुमार जातिगण मेघवाल निवासीगण ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.
12. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.।
13. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 88, 53,188 R.T.Act.,

उपस्थित:-

1. श्री महावीर प्रजापत वकील वादी।

--: निर्णय :-

दिनांक 12.05.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद ललासरी के खेत खसरा संख्या 674/380 रकबा 7.4585 है., खसरा संख्या 376 रकबा 0.6000 है., खसरा संख्या 378 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 379 रकबा 0.0300 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 24.07.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: रीडर/2025/194 दिनांक 29.04.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/194 दिनांक 29.

WkaS
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत बाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--: आदेश :-

सरहद ललासरी के खेत खसरा संख्या 674/380 रकबा 7.4585 है., खसरा संख्या 376 रकबा 0.6000 है., खसरा संख्या 378 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 379 रकबा 0.0300 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: रीडर/2025/194 दिनांक 29.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: रीडर/2025/194 दिनांक 29.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Wheas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Wheas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 50/2023

दायर दिनाँक 07.02.2023

वादी

प्रतिवादीगण

1. नेमीचन्द पुत्र कालूराम जाति
नायक निवासी सेवा तहसील
डीडवना जिला नागौर राज.
जरिये आम मुख्त्यार जीवणी
पत्नी नेमीचन्द जाति नायक
निवासी सेवा तहसील
डीडवना जिला नागौर राज.।

1. ओमप्रकाश पुत्र सुण्डाराम
2. कानाराम पुत्र सुण्डाराम
3. भैरूराम पुत्र सुण्डाराम
4. मोहनी पत्नी रामचन्द्र
5. श्यामलाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति
नायक
6. पूजा पत्नी दुर्गाराम जाति हरिजन
7. माताबक्श पुत्र जोधाराम
8. ललिता देवी पत्नी अरविन्द कुमार
9. जेठी पत्नी दुर्गाराम
10. रामकुमार पुत्र गौरूराम
11. गोदावरी पत्नी श्रवण कुमार जातिगण
मेघवाल निवासीगण ललासरी तहसील
डीडवना जिला नागौर राज.
12. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा
ललासरी तहसील डीडवाना जिला नागौर
राज.।
13. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 88, 53,188 R.T.Act.,

दिनाँक 12.05.2026

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर प्रजापत वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद ललासरी के खेत खसरा
संख्या 674/380 रकबा 7.4585 है., खसरा संख्या 376 रकबा 0.6000 है., खसरा
संख्या 378 रकबा 0.0300 है. खसरा संख्या 379 रकबा 0.0300 है. भूमि में वादी व
प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के
स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक:
रीडर/2025/194 दिनाँक 29.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को
स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश
दिए जाते है।

Wks

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक:
रीडर/2025/194 दिनांक 29.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को
अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.05.2026 को
सरे इजलास में जारी की गयी।

wkas
सहायक कलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	-		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

wkas
सहायक कलक्टर
डीडवाना